



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1082) पटना, वृहस्पतिवार, 16 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 286, दिनांक 16 नवम्बर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, बिहार राज्यपाल, ऐसे व्यक्ति को, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक स्रोत जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख की रकम से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित व्यापारावर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति से भिन्न सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं :

परंतु ऐसी आपूर्ति का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू-कश्मीर से भिन्न, 10 लाख की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 नवंबर 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4105)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

16 नवम्बर 2017

एस०ओ० 287, एस०ओ० 286, दिनांक 16 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-4105)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 16<sup>th</sup> November 2017*

S.O. 286, dated the 16<sup>th</sup> November 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of services, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act:

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, should not exceed an amount of ten lakh rupees in case of “special category States” as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

2. This notification shall come into force with effect from 15 November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017—4105)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1082-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>